बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

सं०सं0–9/कोर्ट–10–6/2015 –

आदेश

डा० शिव नारायण सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, कार्यालय, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–10405/2010 दिनांक – 21.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में डा० सिंह से पुनः स्पष्टीकरण पूछे जाने का निदेश दिया गया था। विभागीय पत्रांक–97(9) दिनांक–02.02.2018 द्वारा कतिपय दो (2) बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गया था।

डा० सिंह से सचिवालय में प्रवेश करने के संबंध में सचिवालय प्रवेश पत्र की प्रति माँगी गयी थी, जिसके उतर में डा० सिंह ने उल्लेख किया है कि पदस्थापना की प्रतीक्षा में सचिवालय में आने–जाने में पास की आवश्यकता नहीं है। डा0 सिंह के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि डा० सिंह, इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों को (स्थाई/अस्थाई) प्रवेश–पत्र गृह विभाग तथा दैनिक रूप से आने वाले व्यक्तियों को सचिवालय में आने वाले गेट के पास ही प्रवेश–पत्र बनवाने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। डा० सिंह द्वारा यह कहा जाना कि पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में सचिवालय आने–जाने में पास की आवश्यकता नहीं है पूर्णतः असत्य है एवं स्वीकार योग्य नहीं है।

डा० सिंह से समय–समय पर दिये गये अभ्यावेदन की फोटोप्रति/प्राप्ति रसीद की फोटोप्रति की माँग की गयी थी। इसके उतर में उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनके द्वारा समर्पित अवकाश अवधि का आवेदन लगातार भेजे गये है, जो संचिका में उपलब्ध है और उनके द्वारा किसी भी अभ्यावेदन की फोटोप्रति /प्राप्ति रसीद उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि डा० सिंह तथाकथित पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में कभी भी सचिवालय में प्रवेश नहीं किये है एवं उन्होंने स्वयं कभी भी कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है। इस अवधि में वे सीतामढ़ी में अपना निजी प्रैक्टिस करते रहे हैं।

उक्त के आलोक में उनके दावे को अस्वीकार किया जाता है तथा उक्त अवधि (दिनांक 20.10.1992 से 19.09.1997 तक) को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है जो पेंशन प्रदायी होगा।

ह0/–

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक – 574(9)/स्वा0 पटना, दिनांक 23/05/2018

प्रतिलिपि –महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि –संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि –क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, गया प्रमण्डल, गया/सिविल सर्जन सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि –डा० शिव नारायण सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, का कार्यालय, जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि –जी0पी0–04, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ हेतू प्रेषित।

प्रतिलिपि –माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02, 03, 05, 07, 08, 10, 17 एवं 18"ए" को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि –आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23.5.18

सरकार के अवर सचिव